मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक–18–1/91/मध्यम/31/797 भोपाल, दिनांक 30/11/2010

–: अधिसूचना :–

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–18–1/91/ मध्यम/31/436, भोपाल, दिनांक 21.4.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक–3,सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पाठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में निजी क्षेत्र के उद्योग एवं केन्द्र अथवा राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए शासकीय/नैसर्गिक स्त्रोत से जल के उपयोग के लिए निम्नानुसार जलदरें निर्धारित करती हैं :–

(1) औद्योगिक प्रयोजन (सिवाय जल विद्युत परियोजना द्वारा जल उपयोग के) हेतु निर्धारित दरें –

दर रूपये प्रति घनमीटर

स. क.	वर्गीकरण	दिनांक 01.01.10 से प्रभावशील	दिनांक 01.01.11 से प्रभावशील	दिनांक 01.01.12 से प्रभावशील	दिनांक 01.01.13 से प्रभावशील
1	2	3	4	5	6
अ.	शासकीय स्त्रोत से यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि	4.00	4.50	5.00	5.50
ब.	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशस से 1. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में	1.00	1.15	1.35	1.55
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिए जाने की दशा में	1.00	1.15	1.35	1.55

(2) जल विद्युत परियोजना में जल के उपयोग के लिए निर्धारित जलदरें –

स.क.	स्त्रोत	दर
अ.	शासकीय जल भंडारण योजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जेनेरिटिंग इकाइयों को प्रदाय किए जाने वाला जल से, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुनप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना	20 पैसा प्रति विद्युत इकाई (किलोवाट घंटा) दर दिनांक 01.01.10 से, इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि ।
ब.	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुर्नप्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना	05 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) उत्पादन दिनांक 01.01.2010 से एवं प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि ।

टीप :–

(1) मध्यप्रदेश शासन की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जल विद्युत योजनाओं के लिए निर्धारित दरें, 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी ।

(2) जल का उपयोग प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित इकाई को प्रारूप–7"क" में अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

(3) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के 25 मेगावाट तक क्षमता की परियोजनाओं के लिए भी जल प्रदाय के अनुबंध प्रारूप–7"क" में किए जावेंगे तथा अनुबंध की कंडिका(2), निम्नानुसार संशोधित की जावेगी :–
"कम्पनी, उसके द्वारा उक्त नैसर्गिक या शासकीय जल स्त्रोत से लिए गए जल के लिए शासन द्वारा 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर जल–कर लागू करने की तिथि से जल–कर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी ।"

(4) ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में औद्योगिक प्रयोजन के लिए दर्शाई गई दरें लागू होगी ।

(एस.के.खरे)
सचिव
वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल

क्रमांक–18–1/91/मध्यम/31/798 भोपाल, दिनांक 30/11/2010

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   वित्त विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/आदिम जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ वन विभाग/ स्थानीय शासन विभाग/विधि एवं विधायी कार्य विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/सार्वजनिक उपक्रम विभाग/कृषि विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/ग्रामोद्योग विभाग/खनिज साधन विभाग/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. उप सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी ।
3. निज सचिव, मान. मंत्री जी, जल संसाधन विभाग।
4. अपर सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त आयुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री/समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा मार्ग, भोपाल ।
10. जल संसाधन विभाग,म0प्र0शासन की समस्त शाखाओं की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(एस.के.खरे)
सचिव
वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल